15/01/25

पदावली पेश हुई। वादी एवं वादी के अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गयी। जो हाजिर नहीं है। अतः अदम तामली एवं अदम पैरवी में वाद खारिज किया जाता है। पदावली नम्बर से कम हो। बाद अपना कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(दमयन्ती कंवर)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.01.28 11:58:39 IST
Reason: SelfAttested